	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937–अप्रेल 27, 2015 *Vaisakha 7, Monday, Saka 1937-April 27, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2015

संख्या प.2(33) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 21)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2015 है।

2. वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 11,78,887/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र **11,78,887/-**रु. (ग्यारह लाख अठहत्तर हजार आठ सौ सतासी रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

(देखिए धारा 2) **(रुपयों में)**

सेवाएं और प्रयोजन	अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है।				
	दत्तमत		प्रभृत्त		योग
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	
1	2				
समेकित निधि					
अनुदानों के लिए माँगें					
माँग संख्या-12					
(अन्य कर)					
2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण 2041-वाहन कर 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और 3055-सड़क परिवहन	..	..	*10,53,850*	..	10,53,850
योग	..	..	*10,53,850*	..	10,53,850

माँग संख्या-36					
(सहकारिता)					
2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार और 2425-सहकारिता	..	..	*57*	*..*	57
योग	..	..	*57*	*..*	57
माँग संख्या-48					
(बिजली)					
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	..	1,24,980	*..*	*..*	1,24,980
योग	..	1,24,980	*..*	*..*	1,24,980
योग-समेकित निधि	**..**	**1,24,980**	***10,53,907***	***..***	**11,78,887**

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (33) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Viniyog (Sankhya 4) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 21):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2015

(Act No. 21 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2011-2012.ended on the 31st March, 2012 in excess of the amount granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title.–This Act may be called the Rajasthan Appropration (No. 4) Act, 2015.

2. Authorisation of Rs. 11,78,887/-out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2011-2012.- Certain futher sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 11,78,887/- (Rupees Eleven lacs seventy eight thousand eight hundred eighty seven) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2012 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorized to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2012 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2) (In Rupees)

Services and Purposes	Excess Appropriation not exceeding to				
	Voted		Charged		Total
	Revenue	Capital	Revenue	Capital	
1	2				
Consolidated Funds					
Demands for Grants					
Demand No. 12					
(Other Taxes)					
2030-Stamps and Registration	..	..	*10,53,850*	..	10,53,850
2041-Taxes on Vehicles					
2045-Other Taxes and Duties on Commodities and Services					
3055-Road Transport					
Total	..	..	*10,53,850*	..	10,53,850

Demand No. 36 **(Co-operation)**					
2408-Food strorage and warehousing and 2425-Co-operation	..	..	*57*	..	57
Total	..	..	*57*	..	57
Demand No. 48 **(Electricity)**					
4801-Capital outlay on power projects and 6801-Loans for Power Projects	..	1,24,980	..	..	1,24,980
Total	..	1,24,980	..	..	1,24,980
Total Consolidated Fund	**..**	**1,24,980**	***10,53,907***	**..**	**11,78,887**

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.